अंतराम

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

12 नवंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथसिवम, जेजे.]

दंड संहिता, 1860- धाराएं 299 अपवाद 2 और 302-हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-चार मृत्युकालिक कथन-अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद पीड़ित की मृत्यु-दलील दी गयी की उक्त मेडिकल नेग्लिजेंस का है ना की धारा 302 का-निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: धारा 299 अपवाद 2 के तहत देखते हुए मृत्युपूर्व घोषणाएं अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थीं। धारा 302 के तहत दोषसिद्धि उचित।

अपीलकर्ता-अभियुक्त पर अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का अभिकथन यह था कि दंपत्ति के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और पीड़िता (पत्नी) अपने तीन बच्चों के साथ पति से दूर दूसरे गांव में रह रही थी। घटना वाले दिन आरोपी पीड़िता के घर पर ही था। जब उनकी बेटी (पीडब्लू-5) के स्कूल जाने का समय हो रहा था तब उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। जब पीडब्लू-5 किसी काम से स्कूल से लौटी तो घर पर उसने अपनी मां को घायल हालत में पाया। उसकी मां ने उसे बताया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की है। बेटी ने घटना की जानकारी अपने मामा (पीडब्लू-2) को दी, जो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां मेडिकल ऑफिसर (पीडब्लू-4) ने पीड़िता से केस की हिस्ट्री दर्ज की. पीडब्लू-2 ने भी पुलिस को मामले की सूचना दी और आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पीड़िता को एक निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर (पीडब्लू-6) के पास ले जाया

गया, जिसने पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज किया। उपचार के बाद उसे ठीक मरीज के रूप में छुट्टी दे दी गई। हालाँकि, डिस्चार्ज के एक दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण को आईपीसी की धारा 302 के तहत बदल दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। हाई कोर्ट ने सजा की पुष्टि की।

अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मृत्युपूर्व घोषणा विश्वसनीय नहीं थी; और धारा 302 का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि मृतका उचित चिकित्सा देखभाल के साथ जीवित रह सकती थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

1. वास्तव में, चार मृत्युपूर्व घोषणा दर्ज किए गए थे; दो मौखिक थे और दो रिकार्ड किये गये। मृत्यु पूर्व दिए गए मौखिक और लिखित बयान आरोपी के अपराध को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त थे। उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की प्रामाणिकता पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त बयान किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं थे। [पैरा 7 और 10] [1984-ए, एफ, जी]

2. तर्क कि उचित चिकित्सा देखभाल के साथ मृतक जीवित रह सकती थी और इसलिए आईपीसी की धारा 302 का कोई उपयोग नहीं है, स्पष्ट रूप से धारा 299 आईपीसी के अपवाद 2 को नजरअंदाज करती है। उच्च न्यायालय ने पाया कि श्वासनली और श्वसनी में बलगम और खाद्य कणों की उपस्थिति को अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटों से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। [पैरा 14 और 11] [985-बी-जी]

हरियाणा राज्य बनाम पाला और अन्य, एआईआर (1996) एससी 2962; और

सुदर्शन कुमार बनाम दिल्ली राज्य, एआईआर (1974) एससी 2328, पर आश्रित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1529/2007।

बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की खंडपीठ में आपराधिक अपील संख्या 218/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.2005 से।

उषा रेड्डी अपीलार्थी की ओर से।

आर.के. अडसुरे प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय डा. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया:

1. अनुमोदन स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद-बेंच की डिवीजन बेंच के फैसले को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा को बरकरार रखते हुए दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। आजीवन कारावास और 200/- रुपये के जुर्माने की सजा। उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित निर्णय सत्र मामले संख्या 24/2004 में लातूर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया था।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष इस प्रकार है:

28.11.2003 को सुबह लगभग 9:30 बजे, अपीलकर्ता अंतराम ने अपनी पत्नी शोभा पर कुल्हाड़ी से बेरहमी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। शोभा की काफी समय पहले आरोपी से शादी हुई थी। दो बेटे और एक बेटी उक्त विवाह से पैदा हुए बच्चे थे। कथित घटना से लगभग 3 साल पहले, शोभा बच्चों के साथ ग्राम कामखेड़ा में रहने लगी थी, जो उसके माता-पिता का स्थान है। आरोपी जरी खुर्द गांव का रहने वाला है. वह बीच-बीच में ग्राम कामखेड़ा में शोभा और बच्चों से मिलने जाता था। पति-पत्नी के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहे क्योंकि आरोपी शोभा के कोई भी काम करने पर आपत्ति करता था। इसका कारण यह था कि वह उसके चरित्र पर संदेह करता था।

कथित घटना से करीब 8 दिन पहले आरोपी ग्राम कामखेड़ा गया था। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है. घटना के समय आरोपी और मृतका घर में थे। दंपति के बीच झगड़ा हुआ, जिसके दौरान आरोपी ने शोभा पर कुल्हाड़ी से बेरहमी से हमला किया और उसके बाद भाग गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो मृतक और आरोपी की बेटी संगीता (पीडब्लू-5) स्कूल जाने वाली थी। शुक्रवार का दिन था और स्कूल में सरस्वती पूजा थी. शिक्षक के कहने पर संगीता कुछ फूल लाने के लिए घर लौट आई। जब उसने देखा कि घर बाहर से बंद है तो उसने पड़ोसी से अपनी मां के बारे में पूछताछ की। अंततः वह घर लौटी और दरवाजा खोला तो मां शोभा को घायल अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ पाया और उसके सिर, चेहरे आदि पर खून बह रहा था और खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था। उसने खुलासा किया कि संगीता के पिता यानी आरोपी ने उस पर हमला किया था। संगीता ने मामले की सूचना अपने मामा तुकाराम (पीडब्लू-2) को दी, जो मौके पर पहुंचे और शोभा से पूछताछ की, जब उसने दोहराया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की है। तुकाराम (पीडब्लू-2) और उसके चाचा गणपत शोभा को एक ऑटो रिक्शा में रेनपुर के अस्पताल ले गए। रेनापुर के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर, उसे लातूर के सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। लातूर के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें उसे एस.आर.टी, मेडिकल कॉलेज, अम्बाजोगल में ले जाने की सलाह दी। हालाँकि, रिश्तेदार उसे लातूर के एक निजी चिकित्सक और न्यूरो सर्जन डॉ. शाम अग्रोया (पीडब्लू-6) के पास ले गए। तुकाराम पुलिस स्टेशन, रेनापुर गए और पुलिस को मामले की सूचना दी। उनकी रिपोर्ट को एफआईआर (प्रदर्श-24) के रूप में माना गया, जिसने कानून को गति दी।

4. हालाँकि अभियोजन पक्ष के पास घटना के बारे में रिकॉर्ड पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, यह मृतक शोभा के एक से अधिक अवसरों पर मृत्यु पूर्व दिए गए बयान

पर निर्भर करता है। बेटी संगीता और चचेरे भाई तुकाराम को मौखिक वर्णन के अलावा, मृत्यु पूर्व बयान भी घटना के इतिहास के रूप में रिकॉर्ड पर आया है, जैसा कि चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरद (पीडब्लू-4), जो उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े थे, द्वारा दर्ज किया गया था। घटना के तुरंत बाद घायल शोभा को रेनपुर ले जाया गया। चूंकि यह एक मेडिको लीगल मामला था, इसलिए डॉ. अग्रोया ने शोभा को भर्ती करते समय, एक लिखित पत्र द्वारा पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी, जहां पुलिस निरीक्षक ने 29.11.2003 को अस्पताल का दौरा किया और डॉ. अग्रोया की उपस्थिति में, उन्होंने रिकॉर्ड किया। घायल शोभा का 29.11.2003 को डॉ अग्रोया द्वारा शल्य चिकित्सा उपचार किया गया और उसके बाद उसे 09.12.2003 को एक ठीक मरीज के रूप में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालाँकि, शोभा की मृत्यु 10.12.2003 को हो गई।

5. नतीजतन, जो अपराध शुरू में आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया था, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत एक में बदल दिया गया। पूरी होने पर, सक्षम मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया और प्रतिबद्ध होने पर, सत्र न्यायाधीश ने सत्र परीक्षण के समापन पर ऊपर वर्णित अनुसार दोषसिद्धि और सजा दर्ज की।

6. अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष के आगे के संस्करण के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष दस गवाहों।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का रुख अनिवार्य रूप से यह था कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान विश्वसनीय नहीं हैं। वस्तुतः मृत्यु से पूर्व चार बयान दर्ज किए गए थे; दो मौखिक थे और दो रिकार्ड किये गये। मृतक तुकाराम (पीडब्लू-2) की

बेटी संगीता (पीडब्लू-5) के मौखिक कथन के अलावा, चचेरे भाई तुकाराम (पीडब्लू-2) के बयान को पीडब्लू-4 डॉ. विलास वराद, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेनापुर द्वारा मृत्युपूर्व बयान के रूप में दर्ज किया गया था, जिन्होंने शुरुआत में जांच की थी। घायल को बुलाकर उसका बयान दर्ज किया। डॉ अग्रोया (पीडब्लू-6) ने मृतक को भर्ती करते हुए पुलिस स्टेशन को सूचना दी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपराध आईपीसी की धारा 302, 304 भाग I और 304 भाग II आईपीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस रुख को स्वीकार नहीं किया और ऊपर बताए अनुसार दोषसिद्धि और सजा दर्ज की। अभियुक्त और राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना-अपना रुख दोहराया। उच्च न्यायालय ने पाया कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान विश्वसनीय थे बहुत अधिक भिन्नता नहीं थी। हालाँकि, प्रदर्श 36 में दिए गए मृत्युकालीन बयान को विचार से बाहर रखा गया था, और डॉक्टर और चचेरे भाई के समक्ष दिए गए मृत्युकालीन बयानों को स्वीकार कर लिया गया था। इस दलील पर कि मामला आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलुओं, लगी चोटों का उल्लेख किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामला स्पष्ट रूप से धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत आता है।

8. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया गया।

9. राज्य के विद्वान वकील ने नीचे दी गई अदालतों के फैसले का समर्थन किया।

10. जहां तक मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों का सवाल है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है, भले ही प्रदर्श 36 को विचार से बाहर रखा गया हो, मौखिक और लिखित दोनों तरह के मृत्युकालीन बयान आरोपी के अपराध को मजबूत करने के

लिए पर्याप्त थे। उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की प्रामाणिकता पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं थे।

11. आईपीसी की धारा 302 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर आते हुए, डॉ. एस.के. साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया। शिंदे (पीडब्लू-7)। यह तर्क दिया गया कि मौत चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई और इसलिए आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह किया गया कि यदि रोगी को उचित देखभाल दी जाती, तो कुछ उपकरणों का उपयोग करके और उचित दवाओं के साथ श्वासनली और ब्रांकाई से गाढ़े बलगम और खाद्य कणों को हटाने की संभावना थी, वह बच सकती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक द्वारा उल्टी फेंकना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह दो चोटों यानी चोटों संख्या 3, 4 का परिणाम था।

12. हरियाणा राज्य बनाम पाला और अन्य, एआईआर (1996) एससी 2962 में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

> "इस सवाल का जवाब देने में कि क्या कोई घाव जीवन के लिए खतरनाक है, खतरे का आकलन इसके संभावित प्राथमिक प्रभावों पर किया जाना चाहिए । बाद में टेटनस या सेप्टीसीमिया की घटना जैसी संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

13. सुदर्शन कुमार बनाम दिल्ली राज्य, एआईआर (1974) एससी 2328 में इस प्रकार कहा गया था:

> "यह तथ्य कि मृतक लगभग 12 दिनों तक पड़ा रहा, यह नहीं दिखाएगा कि मौत आरोपी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं थी। उस पर तेज़ाब फेंकना। इसलिए यह तथ्य भी कि मृतक में मैलेना और

श्वसन विफलता के लक्षण विकसित हुए और उन्होंने भी उसकी मृत्यु में योगदान दिया, किसी भी तरह से इस निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सका कि एसिड बम के कारण लगी चोटें उसकी मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण थीं।"

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उचित चिकित्सा देखभाल के साथ मृतक जीवित रह सकत और इसलिए आईपीसी की धारा 302 का कोई उपयोग नहीं होता है। याचिका स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 299 के अपवाद 2 को नजरअंदाज करती है, जो इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण 2. - जहां मृत्यु शारीरिक चोट के कारण होती है, जो व्यक्ति ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है, उसे मृत्यु का कारण माना जाएगा, हालांकि इसका सहारा लेकर उचित उपचार और कुशल उपचार से मृत्यु को रोका जा सकता था।"

15. जब पृष्ठभूमि के तथ्यों को उजागर किए गए कानून के सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होता है कि अपील बिना योग्यता के है, खारिज करने योग्य है, जैसा कि हम निर्देशित करते हैं।

के.टी.टी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास कुमार खण्डेलवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।